उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-27/2019/391/92-2-19-115जांच/2017
लखनऊ:: दिनांक:: 13 फरवरी,2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद में कार्यरत रहने के दौरान उच्चाधिकारियों के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करने, शासन की मंशा अनुरूप विधायक निधि/सांसद निधि के कार्यो को निर्धारित समयावधि में पूर्ण न कराने, अधीनस्थ दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का निरन्तर बचाव करने तथा निर्माण कार्य में अपेक्षित रूचि न लिये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-09/2018/139/92-2-18-115जांच/2017 दिनांक 18-01-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-विन्ध्याचल मिर्जापुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-विन्ध्याचल मिर्जापुर के पत्र सं0-371/ग्रा0अ0वि0/ अनु0जां0/ /2017-18 दि0 29-06-2018 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री गौर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 18-01-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासिनक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-27/2019/391/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
2- श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-आजमगढ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in